

भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura, Industrial Area अजमेर.—305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज / भील-56 / सीसा-जस्ता-1 / **दिनांक : 07.10.2016**

प्रेषित: खान एजेन्ट,

रामपुरा अगूचा लेड जिंक खान, मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पोस्ट – अगूचा, तहसील – हुरडा,

जिला – भीलवाड़ा – 311 029 (राजस्थान)

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी रामपुरा अगूचा सीसा-जस्ता खान क्षेत्रफल 1200.00 हैक्टेयर हेतु

खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन। (MINE CODE

34RAJ06001)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को किये गये आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :--

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तत ब्यौरा				
13(1)	Mining operations are not carried out as per the Modifications in Scheme of Mining as approved on 09.04.2015:				
	a)	During the year 2015-16 exploration is not as per proposals to the extent indicated below:			
			Type of Exploration	Proposed Exploration	Actual Achieved
		i)	Drilling from Surface	Nos 44 Nos. Meterage – 10,000	7 4257.15
		ii)	Definition Drilling	Nos 40 Meterage – 4000	52 3797.00
	b) During the year 2015-16, underground development at 19930 m was proposed but actual development of underground mine is quite low at 14679.38 m. On the other hand, the production from underground mine was proposed at 12,05,921 tonnes against which actual production is 2,23,521 tonnes only.				
	c)	During the year 2015-16, the production from opencast mine was proposed at 13,07,190 cu.m. (39,21,570 tonnes) whereas actual production is much higher at 44,81,203 tonnes.			
23E(2)	The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis-à-vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 st July, 2016 to the Regional Controller of Mines, has not been submitted till date.				
Rule 45 (5) (b)	Annual return required to be submitted to the Regional Controller of Mines before the 1 st day of July each year in respect of the preceding financial year in electronic form, along with a print-copy of the same, if it is not digitally signed in the respective form as prescribed under rule, has not been submitted online for the year 2015-16 .				

- 02. खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को जारी अधिसूचना जी.एस.आर 430 **(E)** के अनुसार मासिक व वार्षिक विवरणियां www.ibm.nic.in / www.ibmreturns.gov.in वेबसाइट पर ही ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) / 45 (7)(i) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैतालीस) दिनों** के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(बी. एल. कोटड़ीवाला) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

1 खान नियंत्रक (जत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर 2 खनि अभियन्ता, खान एवं भृविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा

> क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो